न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2020	03.03.2020	14.02.2022

अनवान

1. गोपी पिता सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. नर्बदा पुत्री सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भैरूलाल पिता सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राजी पुत्री सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामकुंवर पुत्री सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रामचन्द्र पिता सुखलाल राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. काना पिता नाथु राव आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीबाई पत्नि नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भगवतीलाल पिता नन्दलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मथरालाल पिता मंगनीराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।(विलोपित)
4. मोहनलाल पिता भारमल सुथार आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. चांदीबाई पत्नि गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. किशनलाल पिता गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. कला पत्नि रतनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. अनिल पिता रतनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:30 IST
Reason: SelfAttested

9. लोकेश पिता रतनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. दिनेश पिता रतनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. कंवरलाल पिता पृथ्वीराज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी ताराखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री हिम्मत सिह जादव — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 140 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 241, 242 तथा खाता संख्या 141 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1064/264, 1065/261, 1066/257, 243, 252, 256, 265 तथा खाता संख्या 130 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 257, 258, 259, 260, 261, 262 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 05.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्राप की गयी। तथा दिनांक 06.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 से 11 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को ध्यान से अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:30 IST
Reason: Self Attested

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा ताराखेडी पटवार हल्का दामाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 140 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 241, 242 तथा खाता संख्या 141 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1064/264, 1065/261, 1066/257, 243, 252, 256, 265 तथा खाता संख्या 130 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 257, 258, 259, 260, 261, 262 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.04.25 11:08:30 IST
Reason: SelfAttested